

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 203/2024

अनवान : –

1. जसवीर सिंह पुत्र प्रालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. विजय सिंह पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. विमला पत्नि कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
5. राजकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
6. सारिका पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
7. धापी पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
8. सन्तोष पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
9. राजेश्वरी पत्नि मनीराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
10. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
11. जीवणी पत्नि बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
12. कुशलाराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
13. पृथ्वीसिंह पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
14. गोमती पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
15. कमला पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
16. कृष्णा पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
17. ईमरती पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
18. बनारसी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालरुका तहसील नोहर
19. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी जोरापपुरा गिलवाला
20. ज्याना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
21. रणजीत पुत्र उदमीराम जाति मेघवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
22. 2. अमरसिंह पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र फौत
22/1 ज्योति रानी पुत्री अमरसिंह पत्नि सुभाष कुमार जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर.
22/2 पूजा पुत्री अमरसिंह पत्नि रमेश रोहिला जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
23. हसंराज पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
24. लिछमण पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
25. अर्जुन पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
26. रोशनी पत्नि रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
27. सनावती पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
28. समेस्ता पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
29. विमला पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलरार राजस्व भादरा तहसील भादरा
31. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ जोशी
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक: 20/11/25

Zahur
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स० 12/23 की कुल 2.7060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 0.0380 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 20/17 की कुल 5.1360 हैक्ट भूमि में से 7/72 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 15/13 की कुल 5.5410 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम व रोही मौजा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 85/79 की कुल 3.6430 हैक्ट भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स० 1 व रामचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है रामचन्द्र के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है रोही मौजा चक 3 के. एम. तहसील नोहर के खाता सं. 12/23 की कुल तादादी 2.7060 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 17 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता की कुल तादादी 0.0380 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा सं. 87/78 भूमि एवं रोही मौजा चक 15. आर. डब्ल्यू. डी. तहसील नोहर के खाता सं. 20/17 की कुल तादादी 5.1360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 7/72 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 15/13 की कुल तादादी 5.5410 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 16 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 85/79 की कुल तादादी 3.6430 हैक्टर भूमि में मृतक रामचन्द्र पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 9 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 8 का 1/8. हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 शता 17 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 ता 20 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 अकेला 1/72 हिस्सा 22/1 व 22/2 दोनो का 1/72 हिस्सा ब.हि.ब., 23 तां 29 प्रत्येक का 1/72, 1/72 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायलय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Lahni

उपस्रण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मुत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स0 12/23 की कुल 2.7060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 0.0380 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 20/17 की कुल 5.1360 हैक्ट भूमि में से 7/72 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 15/13 की कुल 5.5410 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम व रोही मौजा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 85/79 की कुल 3.6430 हैक्ट भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रामचन्द्र के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के. एम. तहसील नोहर के खाता सं. 12/23 की कुल तादादी 2.7060 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 17 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता की कुल तादादी 0.0380 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा सं. 87/78 भूमि एवं रोही मौजा चक 15. आर. डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 20/17 की कुल तादादी 5.1360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 7/72 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 आर. डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 15/13 की कुल तदादी 5.5410 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी *Lahur*

घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 16 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 85/79 की कुल तादादी 3.6430 हैक्टर भूमि में मृतक रामचन्द्र पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 9 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 8 को 1/8. हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 ता 17 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 ता 20 प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 अकेले को 1/72 हिस्सा 22/1 व 22/2 दोनो को 1/72 हिस्सा ब.हि.ब., 23 तां 29 प्रत्येक को 1/72, 1/72 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक20/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 203/2024

अनवान : -

1. जसवीर सिंह पुत्र प्रालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. विजय सिंह पुत्र पालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. विमला पत्नि कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
5. राजकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
6. सारिका पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
7. धापी पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
8. सन्तोष पुत्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
9. राजेश्वरी पत्नि मनीराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
10. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
11. जीवणी पत्नि बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
12. कुशलाराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
13. पृथ्वीसिंह पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
14. गोमती पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
15. कमला पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
16. कृष्णा पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
17. ईमरती पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
18. बनारसी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालरुका तहसील नोहर
19. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी जोरापपुरा गिलवाला
20. ज्याना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
21. रणजीत पुत्र उदमीराम जाति मेघवाल निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
22. 2. अमरसिंह पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र फौत
22/1 ज्योति रानी पुत्री अमरसिंह पत्नि सुभाष कुमार जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर.
22/2 पूजा पुत्री अमरसिंह पत्नि रमेश रोहिला जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
23. हसंराज पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
24. लिछमण पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
25. अर्जुन पुत्र निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
26. रोशनी पत्नि रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
27. सनावती पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
28. समेस्ता पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
29. विमला पुत्री निमा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा
31. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 203 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/11/25

Lahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज परोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के. एम. तहसील नोहर के खाता सं. 12/23 की कुल तादादी 2.7060 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 17 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता की कुल तादादी 0.0380 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा सं. 87/78 भूमि एवं रोही मौजा चक 15. आर. डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 20/17 की कुल तादादी 5.1360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 7/72 हिस्सा, रोही मौजा चक 16 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 15/13 की कुल तदादी 5.5410 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 16 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील नोहर के खाता सं. 85/79 की कुल तादादी 3.6430 हैक्टर भूमि में मृतक रामचन्द्र पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 9 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 8 को 1/8. हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 ता 17 को 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 ता 20 प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 21 अकेले को 1/72 हिस्सा 22/1 व 22/2 दोनो को 1/72 हिस्सा ब.हि.ब., 23 तां 29 प्रत्येक को 1/72, 1/72 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर